GOVERNMENT OF INDIA / BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS / RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

RBE No. 8 /95

NO.E(NG)I/94/PMS/3 New Delhi, dated 25 /01/95

The General Managers(A/Cs),
All Indian Railways &
Production Units.

Sub:- Procedure for regulating promotion of Appendix-III-qualified staff in more than one group.

As the Railways are aware, in terms of Board's letter No.E(NG)64/PM1/56 dated 10.5.65 staff qualified for more than one group of the Appendix-3 examination shall be asked to exercise an option for any one particular group and this option, once exercised shall be final. The following queries have been received from various Railways in this regard :

(i) whether the above referred letter still holds good and if so, whether the staff qualified for more than one group should be asked to exercise this option when his turn comes for the first promotion against any one of such groups or when he becomes due for promotion in another group;

(ii) whether Appendix-3 qualified staff may be allowed to change stream on their passing the Appendix-3 examination in any other group in a subsequent batch.

2. The matter has since been considered and the position is clarified as under :-

(i) Board's letter No.E(NG)64PM1/56 dated 10.5.65 still holds good.

(ii) If a person by virtue of having passed in more than one group is borne on more than one panel for promotion, he would be asked to exercise an option for one of the groups when his turn comes for promotion against any one of such groups and such option once exercised shall be final. His name shall be struck off from the other panels.

Contd...2/-

(iii) If a person qualified and is promoted in any particular group but subsequently qualifies in another group and is empanelled for promotion in that group, he will be allowed to exercise option for the new group when his turn comes for promotion in that group. When promoted to the new group, such person will cease to hold his position in the earlier group.

3. Please acknowledge receipt.

(This also disposes of C.Rly's letter No. AC/178-C/Admn/93 dated 29.4.93 and N.Rly's letter No.91/Adm/C/5/1/Misc dated 1.3.94).

(K.B. LALL)
DIRECTOR ESTABLISHMENT(N)
RAILWAY BOARD.

COPY TO :

Adv(S), EDA, EDE(N), EDPC, JDF(CCA), DF(A),

A/C-I, II & III.

DDE(R)II (with two spares).

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) 95 को आर.बी.ई. सं. 8

सं. ई(एन जी)I/94/पी एम 9/3 नई दिल्ली, दिनांक 25.01.95

महाप्रबंधक (लेखा),
सभी भारतीय रेलें तथा
उत्पादन इकाइयां.

विषय :- परिशिष्ट-III-क में एक से अधिक ग्रुप में अर्हता प्राप्त कर्मचारियों की पदोन्नति नियमित करने की प्रक्रिया.

==========

जैसा कि रेलें जानती हैं, बोर्ड के 10.5.65 के पत्र सं. ई(एन जी)64/पी एम I/56 के अनुसार परिशिष्ट-III परीक्षा के एक से अधिक ग्रुपों में अर्हता प्राप्त कर्मचारियों को किसी एक विशिष्ट ग्रुप के लिए विकल्प देने के लिए कहा जाएगा तथा एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा. इस संबंध में विभिन्न रेलों द्वारा निम्नलिखित प्रश्न पूछे गए हैं :-

(I) क्या उपर्युक्त पत्र अभी भी लागू होता है तथा यदि ऐसा है तो, क्या एक से अधिक ग्रुपों में अर्हता प्राप्त कर्मचारियों को इन ग्रुपों में से किसी एक ग्रुप के अंतर्गत पहली पदोन्नति के लिए उनकी बारी आने पर अथवा अन्य ग्रुप में पदोन्नति देय होने पर, यह विकल्प मांगा जाए.

(II) क्या परिशिष्ट-3 में अर्हता प्राप्त कर्मचारियों को अनुवर्ती बैच में अन्य किसी एक ग्रुप में परिशिष्ट-3 परीक्षा पास करने पर लाइन परिवर्तन करने की अनुमति दी जाए.

2. चूंकि इस मामले पर विचार किया गया है तथा स्थिति निम्नानुसार स्पष्ट की जाती है :-

(I) बोर्ड का 10.5.65 का पत्र सं. ई(एन जी)64/पी एम I/56 अभी भी लागू है.

(II) यदि एक से अधिक ग्रुप में अर्हता प्राप्त करने के आधार पर किसी व्यक्ति का नाम पदोन्नति के लिए एक से अधिक पैनलों में रखा जाता है तो इन ग्रुपों में से किसी एक ग्रुप के अंतर्गत पदोन्नति के लिए उनकी बारी आने पर उन्हें किसी एक ग्रुप के लिए विकल्प देने के लिए कहा जाए और इसलिए एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा. अन्य पैनलों से उनका नाम काट दिया जाए.

...2...

(iii) यदि किसी व्यक्ति ने अर्हता प्राप्त कर ली है तथा उन्हें किसी विशिष्ट ग्रुप में पदोन्नत कर दिया गया हो लेकिन तत्पश्चात् उन्होंने अन्य ग्रुप में अर्हता प्राप्त कर ली हो तथा उक्त ग्रुप में पदोन्नति के लिए उनका नाम पैनल में रख लिया हो तो, उक्त ग्रुप में पदोन्नति के लिए उनकी बारी आने पर उन्हें नए ग्रुप के लिए विकल्प देने की अनुमति दी जाए. नए ग्रुप में पदोन्नति हो जाने पर, वह पूर्ववर्ती ग्रुप में अपनी स्थिति बनाए रखना समाप्त हो जाएगा.

3. कृपया पावती दें.

इससे मध्य रेलवे के 29.4.93 के पत्र सं. ए सी/178-सी/एडमि./93 तथा उत्तर रेलवे के 1.3.94 के पत्र सं. 91/एडमि./सी/5/1 का निपटारा हो जाता है.

(के. बी. लाल)
निदेशक, स्थापना (एन),
रेलवे बोर्ड.